प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन.आर.एच.एम.,
विशाल कॉम्पलैक्स,19–ए विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी (परिवार कल्याण),
समस्त जिला प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका।

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0 / बाल स्वास्थ्य / 2010–11 / 18–13 / 9840-2 दिनांकः 10, जुलाई 2010

विषयः नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट (Newborn Stablization Unit) की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005–2012 तक शिशु मृत्युदर में कमी ला कर 36 प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक स्तर पर सार्थक प्रयास करने होंगे। प्रदेश में शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिये अभी तक जो प्रयास किये जा रहे हैं, वो निम्नवत हैं–

- प्रत्येक प्रसव कक्ष (Labour Room) में अनिवार्य रूप से नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर (Newborn Care corner) स्थापित किये जाने के लिये शासनदेश सं0 494 / 5–9–2010–9 (76) / 10 दिनांक 01 अप्रैल 2010 जारी किया गया है। प्रसव कक्ष में कार्यरत चिकित्सकों / स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 को नवजात की देखभाल के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु की देखभाल सम्बन्धी दिशा निर्देश (Protocol) चार्ट लगाये जायेंगे।
- चयनित जनपदों में स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट (Special Newborn Care Unit (SNCU) की स्थापना की गयी है तथा वर्ष 2010–11 में 5 अन्य जनपदों में भी स्पेशल न्यूर्बोन केयर यूनिट (SNCU) की स्थापना की जा रही है।
- प्रसव के उपरान्त जो नवजात शिशु कम बज़न के अथवा गंभीर रूप में बीमार है जिनकी देखभाल कुछ दिन / सप्ताह तक चिकित्सालय में भर्ती कर की जानी है, उनके लिये प्रथम सन्दर्भन इकाईयों पर प्रसवोत्तर वार्ड अथवा **प्रसव कक्ष के समीप के वार्ड में "नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट"** (**Newborn Stablization Unit**) की स्थापना की जानी हैं जिसके लिये निम्न निर्देश दिये जा रहे है–

दिशा निर्देशः–

1. स्थान का चयनः–

प्रत्येक जिला अस्पताल / सामुदायिक स्वा0 केन्द्र (प्रथम सन्दर्भन इकाईयों) में प्रसवोत्तर वार्ड में अथवा अन्य किसी वार्ड में जो प्रसव कक्ष के समीप हो, में "नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट" की स्थापना की जायेगी। जिला महिला चिकित्सालयों में वार्ड में कम से कम 4 पलंग तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रथम सन्दर्भन इकाईयों) में कम से कम 2 पंलग **नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन** के लिये तैयार किये जायेगे।

2. सुविधायें:—

- नवजात शिशु का ठंड से बचाव (Prevention of Hypothermia)
- नवजात शिशु में पीलिया (Neonatal Jaundice) का प्रबन्धन।
- नवजात शिशु की श्वांस में गतिरोध का प्रबन्धन (Management of Asphyxia)
- कम वज़न के बच्चों की विशेष देखभाल।
- स्तनपान एवं फीडिंग सपोर्ट

3. उपकरण एवं व्यवस्था:—

नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट (**Newborn Stablization Unit**) वाले वार्ड में निम्न कियाशील उपकरण होंगे—

Items	**At District Female Hospital**	**At FRU (CHC)**
1- Radiant Warmer	4	2
2- Phototherapy Unit	2	1
3- Hand operated resuscitator (500 ml.)	2	1
4- Laryingoscope with neonatal blades	1	1
5- Weighing Scale- Baby (Pan type or Electronic Type)	1	1
6- Room Thermometer	1	1
7- Digital Thermometer	4	2
8- Mobile examination light / Torch	1	1
9- Mucus extractor	As per requirement	As per requirement
10- Foot operated suction Pump with suction tubes	2	1
11- Towels for drying and wrapping the baby	As per requirement	As per requirement
12- Sterile Gloves	As per requirement	As per requirement
13- IV Cannulas 24G,26G and Drip set	As per requirement	As per requirement
14- Feeding Tubes	As per requirement	As per requirement
15- Oxygen cylinder	2	1
16- Oxygen hood	2	1
17- Cotton wool, Gauze,	As per requirement	As per requirement
18- Neonatal Nasal Prong	2	1
19- Syringes- 1 ml,2ml,5ml,10ml.	As per requirement	As per requirement
20- Paediatric Chamber	As per requirement	As per requirement
21- Required emergency Medicine (Inj-Adrenaline, Ringer Lactate, Sodabicarb, 5%dextrose, Inj.Aminophyline, 10% Dextrose, Normal Saline, Inj.Hydrocortisone)	As per requirement	As per requirement

अनुमानतः जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रथम सन्दर्भन इकाईयों) में अधिकांश उपकरण उपलब्ध होंगे उन्हें **"नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट" (Newborn Stablization Unit)** वाले वार्ड में सुसज्जित किया जाये। यदि किसी स्वास्थ्य केन्द्र पर उपकरण अधिक हों और उनकी आवश्यकता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रथम सन्दर्भन इकाईयों) पर न हो उनको स्थानीय स्तर पर यथा व्यवस्थित किया जाये। स्वास्थ्य इकाई पर जिन उपकरणों की उपलब्धता न हो, उनकी रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि से स्थानीय स्तर पर तत्काल व्यवस्था की जाये।

4. सुविधाओं का स्तरवार वर्गीकरणः—

1. **स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट (Special Newborn Care Unit (SNCU) की स्थापना।**

चयनित जनपदों एवं मेडीकल कॉलेजों में इन इकाईयों में अति गभीर शिशुओं की विशेष देखभाल की व्यवस्था हागी। वर्तमान में अलीगढ,आजमगढ,प्रतापगढ,ललितपुर,शाहजहाँपुर, सहारनपुर, आवंतीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में (SNCU) की गयी है वर्ष 2010—11 में जनपद बांदा, बस्ती, फैज़ाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर तथा मेडीकल कॉलेज में (SNCU) स्थापना का प्रस्ताव है।

2. **नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर (Newborn Care corner) की स्थापना।**

प्रत्येक 24 X 7 स्वास्थ्य इकाईयों के प्रसव कक्ष में इनकी स्थापना शासनादेश के अनुपालन में समस्त जनपदों के जिला चिकित्सालय,सी0एच0सी0,पी0एच0सी0 के प्रसव कक्षों में की गयी है। प्रसव कक्ष में प्रत्येक नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल की जायेगी।

3. **प्रत्येक जिला महिला चिकितसालय एवं प्रथम सन्दर्भन इकाईयों में "नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट" (Newborn Stablization Unit) की स्थापना।**

प्रसव के पश्चात कमजोर तथा गंभीर नवजात जिन्हें चिकित्सालय में गहन देखरेख में रखना आवश्यक है के लिये जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वा0केन्द्र (प्रथम सन्दंभन इकाईयों) में विशेष वार्ड, वर्ष 2010—11 में तैयार किये जाने है। **वार्ड के सामने पेन्ट द्वारा निम्नानुसार लिखवाया जाये।**

नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (Newborn Stablization Unit)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिशु मृत्युदर कम करने के लिये अलग—अलग इकाईयों पर विशेष उद्‌देश्यों को ध्यान में रख कर स्थापना की गयी है। इस प्रकार से जिला महिला चिकित्सालय एवं प्रथम सन्दंभन इकाईयों पर "नवजात **शिशु देखभाल कॉर्नर"** (Newborn Care corner) एवं "नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट" (Newborn Stablization Unit) दोनों इकाईयॉ स्थापित की जायेंगी।

5. **स्टाफ प्रशिक्षणः—**

नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट (**Newborn Stablization Unit**) वाले वार्ड में कार्यरत कर्मियों को 5 दिन का **Facility based Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness** (F-IMNCI) प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिाक्ति 2 दिन का नवजात शिशु सुरक्षा (NSSK) प्रशिक्षण भी दिलाया जायेगा।

6. **वित्तीय व्यवस्थाः—**

आर0के0एस0 में पबलध समेकित राशि जिसमें अनटाइड/ए0एम0जी0/ आर0के0एस0 ग्राण्ट तथा यूजर्स चार्जेस सम्मलित है में से आवश्यक धनराशि इसी कार्य में अनिवार्य रूप से उपयोग की जाये।

7. **उत्तरदायित्व :–**

नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन यूनिट (**Newborn Stablization Unit**) स्थापित करने, कियाशील करने तथा सम्बन्धित स्टाफ को उपरोक्त में प्रशिक्षण दिलाये जाने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षक, अधीक्षिकाओं तथा सामुदायिक केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी की होगी।

8. **समय सीमाः–**

आपको अपने जनपद की चयनित इकाईयों पर यह यूनिट 31 अगस्त 2010 तक अवश्य ही कियाशील कर लेनी है।

9. **अनुश्रवण :–**

मण्डलीय अपर निदेशक व जनपद स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी (परिवार कल्याण) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका/सी.एच.सी. चिकित्सा अधीक्षक द्वारा इकाईयों के कियाशील करने का अनुश्रवण करेंगे।

10. **आकस्मिकता एवं प्रबन्धन :–**

- किसी आकस्मिक स्थिति में उपकरण कियाशील नहीं है तो तत्काल उसे ठीक कराया जाये अन्यथा पास की स्वास्थ्य इकाई से प्राप्त किया जाये।
- प्रशिक्षित स्टाफ छुट्‌टी पर है तो अन्य उपलब्ध स्टाफ को प्रशिक्षित करें एवं आवश्यकतानुसार पास की स्वास्थ्य इकाई से बुलाया जाये।
- बाल रोग विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है तो पास की स्वास्थ्य इकाई से बुलाया जाये। जिसके लिये वाहन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाये।
- विशेषज्ञों की सेवा हेतु दूरभाष तंत्र विकसित किया जाये।

भवदीय

(प्रदीप शुक्ला)
प्रमुख सचिव

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0/बाल स्वास्थ्य /2010–11/ / दिनांकः जुलाई 2010

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,निमार्ण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण ,परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकितसा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यकम प्रबन्धक उत्तर प्रदेश।

(प्रदीप शुक्ला)
प्रमुख सचिव

S.No. District	Name of District	S.No. FRU	Name of FRU	S.No. District	Name of District	S.No. FRU	Name of FRU
1	Agra	1	District Women Hospital	35	J.P. Nagar	71	CHC, Amroha
		2	CHC, Bah			72	CHC, Gajraula
		3	CHC, Kheragarh	36	Jaunpur	73	District Women Hospital
2	Aligarh	4	District Women Hospital			74	CHC, Kerakat
		5	CHC, Atrauli			75	CHC, Badlapur
		6	CHC, Khair	37	Jhansi	76	District Women Hospital
3	Allahabad	7	District Women Hospital	38	Kannauj	77	District Hospital-Gyanpur
		8	CHC, Karchana	39	Kanpur Dehat	78	District Women Hospital
		9	CHC, Handia	40	Kanpur Nagar	79	District Women Hospital
4	Ambedkar Nagar	10	District Combined Hospital			80	CHC, Sarsaul
		11	CHC, Tanda	41	Kashi Ram Nagar	81	CHC, Kasganj
5	Azamgarh	12	District Women Hospital	42	Kaushambi	82	CHC, Sarai akil
		13	CHC, Lalganj	43	Khiri	83	District Women Hospital
		14	CHC, Phoolpur			84	CHC, Gola
6	Badaun	15	District Women Hospital			85	CHC, Palia
		16	CHC, Ujhani	44	Kushinagar	86	CHC, Kasya
7	Baghpat	17	CHC, Baghpat	45	Lalitpur	87	District Women Hospital
		18	CHC, Baraut	46	Lucknow	88	WC Hospital Avantibai
8	Bahraich	19	District Women Hospital			89	WC Hospital, Jhalkaribai
9	Ballia	20	District Women Hospital			90	RMLHospital
10	Balrampur	21	District Women Hospital			91	RLB Hospital
		22	CHC, Tulsipur			92	CHC, Mohanlalganj
11	Banda	23	District Women Hospital	47	Maharajganj	93	CHC, Partawal
12	Barabanki	24	District Women Hospital			94	District Combined Hospital
		25	CHC, Haidergarh	48	Mainpuri	95	District Women Hospital
		26	CHC, Fatehpur	49	Mathura	96	District Women Hospital
13	Bareilly	27	District Women Hospital			97	CHC, Farah
		28	CHC, Baheri	50	Mau	98	District Combined Hospital
		29	CHC, Fardipur			99	CHC, Ghosi
14	Basti	30	District Women Hospital	51	Meerut	100	CHC, Mawana
15	Bhadhoi	31	District Hspital-Gyanpur			101	CHC, Sardhana
		32	CHC, Bhadoi			102	CHC, Daurala
16	Bijnore	33	District Women Hospital			103	District Women Hospital
		34	CHC, Najibabad	52	Mirzapur	104	District Women Hospital
17	Bulandshahar	35	District Women Hospital			105	CHC, Chunar
		36	CHC,Khurja	53	Moradabad	106	District Women Hospital
		37	CHC,Sikandrabad			107	CHC, Sambhal
18	Chaundali	38	CHC, Chakiya	54	Muzaffar Nagar	108	District Women Hospital
		39	CHC, Sakaldiha			109	CHC, Shamli
19	Chitrakoot	40	District Women Hospital			110	CHC, Khautali
20	Deoria	41	District Women Hospital	55	Pilibhit	111	District Women Hospital
21	Etah	42	District Women Hospital			112	CHC, Besalpur
22	Etawah	43	District Women Hospital	56	Pratapgarh	113	CHC, Kunda
23	Faizabad	44	District Women Hospital			114	CHC, Patti
		45	CHC, Bikapur			115	District Women Hospital
		46	CHC, Rudauli	57	Raebareilly	116	District Women Hospital
24	Farrukhabad	47	District Women Hospital			117	CHC, Lalaganj
		48	CHC, Qayamganj			118	CHC, Bacchrawan
25	Fathepur	49	District Women Hospital	58	Rampur	119	District Women Hospital
26	Firzobad	50	District Women Hospital	59	Saharanpur	120	District Women Hospital
		51	CHC, Tundla			121	CHC, Deoband
		52	CHC, Jasrana	60	Sant Kabir Nagar	122	CHC, Khalilabad
27	G.B. Nagar	53	CHC, Dadri	61	Shajahanpur	123	District Women Hospital
		54	CHC, Badalpur	62	Sidharth Nagar	124	District Combined Hospital
28	Gaziabad	55	District Women Hospital			125	CHC, Uska Bazar
		56	CHC, Hapur	63	Sitapur	126	District Women Hospital
		57	CHC, Garh			127	CHC, Sidhauli
29	Gazipur	58	District Women Hospital	64	Sitapur	128	CHC, Laherpur
		59	CHC, Saidpur	65	Sonbhadhra	129	District Women Hospital
		60	CHC, Mohmodabad			130	CHC, Chopan
30	Gonda	61	District Women Hospital			131	CHC, Meorpur
		62	CHC, Colanelganj	66	Srawasti	132	CHC, Ikauna
31	Gorakhpur	63	District Women Hospital	67	Sultanpur	133	District Women Hospital
		64	CHC, Sahjanwa			134	CHC, Kadipur
32	Hamirpur	65	District Women Hospital			135	CHC, Jagdishpur
		66	CHC, Rath	68	Unnao	136	District Women Hospital
33	Hardoi	67	District Women Hospital			137	CHC, Nawabganj
		68	CHC, Sandila			138	CHC, Hasanganj
		69	CHC, Pihani	69	Varanasi	139	CHC, Cholapur
34	Hathras	70	District Women Hospital			140	District Women Hospital